



राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य
भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान, जयपुर।
फोन नं० 0141-2221812,
ई-मेल :- pcpndt-rj@nic.in



क्रमांक : राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ/स्वा०प्रबन्धक/परिपत्र/2017/156


दिनांक : 9/3/2017

परिपत्र-20

समस्त जिला नोडल अधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राजस्थान।

विषय- राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड (पीसीपीएनडीटी) की बैठक दिनांक 03.02.2017 में लिये गये
निर्णय के क्रम में।


उपरोक्त विषय में लेख है कि राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड पीसीपीएनडीटी की बैठक दिनांक
03.02.2017 में लिए गये निर्णय के बिन्दु संख्या 12 की पालना में आपको निर्देशित किया जाता है
कि आपके जिलों में सोनोग्राफी केन्द्रों की सीलशुदा समस्त सोनोग्राफी मशीनों को सुरक्षित रखने
हेतु जिला मुख्यालय पर स्टोर चिन्हित कराये जाकर मशीनों को सुरक्षित रखाया जाना सुनिश्चित
करावें।


(निवीन जैन)

अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी
(पीसीपीएनडीटी) एवं
शासन सचिव (प०क०)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव (प०क०) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर, राजस्थान।
2. समस्त जिला समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं जिला कलक्टर, राजस्थान।
3. निदेशक जन स्वा०, (प०क०) / चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान।
4. निदेशक, वित्त (एनएचएम), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान।
5. संयुक्त निदेशक, समस्त जोन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान।
6. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक (एनएचएम), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान को पालनार्थ।
7. समस्त जिला समन्वयक (पीसीपीएनडीटी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान को पालनार्थ।
8. सर्वर रूम।
9. रक्षित पत्रावली।


परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी)
एवं उप निदेशक (आरसीएच)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर